

पत्रांक

/ह०क०-नियो०/व०उ०नी०/2016-17

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय,

(नियोजन अनुभाग)

उत्तर प्रदेश।

कानपुर: दिनांक

जून 2016

समस्त परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त,

परिक्षेत्र -

कृपया इस पत्र के साथ उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली वस्त्र उद्योग इकाईयों को ब्याज उपादान योजना अन्तर्गत लाभ दिलाने हेतु उ०प्र० शासन के पत्रांक 769/63-व०उ०-2016-50(एच) /2006टी.सी.2 दिनांक 10 जून 2016 द्वारा जारी शासनादेश/दिशा-निर्देश की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि आप अपने स्तर से योजना का व्यापक प्रचार कराने का कष्ट करें ताकि प्रदेश के उद्यमियों को योजना का लाभ दिलाया जा सके। साथ ही साथ पात्र उद्यमियों को योजना से लाभान्वित कराने हेतु प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(रणवीर प्रसाद)

आयुक्त एवं निदेशक,

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ०प्र०।

पृ०प०सं० २१५-७९ उक्त

तददिनांक- १८।६।२०।६

उपरोक्त की प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर महोदया को शासनादेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने स्तर से शासनादेश की प्रति उद्योग विभाग के सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, सी०आई०आई०, प्लाट नं०-०१, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से उद्यमियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
3. निदेशक, आई०आई०ए०, विभूति खण्ड, फेज-२, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से उद्यमियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
4. निदेशक/अध्यक्ष, आई०आई०ए०, आई०आई०ए० भवन, सी०ए०-२, पनकी, इण्डस्ट्रियल एरिया, साईट-५, उद्योग नगर, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, एफ०आई०सी०सी०आई०, हलवासिया कोर्ट, हजरतगंज, लखनऊ-226001 को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से प्रचार प्रसार एवं उद्यमियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।

(रणवीर प्रसाद)

आयुक्त एवं निदेशक,

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ०प्र०।

प्रेषक,

कुमार कमलेश
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ०प्र०, कानपुर।

उपायुक्त

आयुक्त एवं निदेशक
१५.६.२०१६

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग

लखनऊ : दिनांक १० जून, 2016

विषय :- उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति के अन्तर्गत पूँजीगत ब्याज उपादान योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति के अन्तर्गत पूँजीगत ब्याज उपादान योजना की गाइडलाइन्स एतद्वारा निम्नवत प्रख्यापित की जाती है :

उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं पूँजी निवेश को आकर्षित करने, अधिकाधिक रोजगार सृजन किये जाने के लिए उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति 2014 बनाई गयी है। प्रदेश में स्थापित होने वाली वस्त्र उद्योग इकाईयों को उ०प्र० 0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अन्तर्गत उपलब्ध 5.1 के अन्तर्गत पूँजीगत ब्याज उपादान योजना प्राविधिकीय नीति की गयी है।

अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने हेतु पूर्वाचल, मध्यांचल एवं बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु० 1 करोड़ होगी। स्पिनिंग यूनिट को छोड़कर अन्य वस्त्र उद्योग की इकाईयों पर यह उपादान 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्षों के लिए प्रति यूनिट अधिकतम 1 करोड़ होगी। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उपरोक्त प्रकार के नये वस्त्रोद्योगों के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु० 50.00 लाख होगी।

यह योजना उ०प्र० 0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 1414/77-6-12-8(एम) / 12 टी०सी०-३, दिनांक 30 जनवरी, 2012 में उल्लिखित प्राविधिकानों के अनुरूप वस्त्र उद्योग इकाईयों के लिए उपरोक्त संशोधित दर एवं अवधि के अनुसार प्रभावी होगी।

योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्रियान्वयन, निर्णय एवं भुगतान की प्रक्रिया आदि निम्नवत है:-

1- योजना का शीर्षक

पूँजीगत ब्याज उपादान योजना (उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति 2014)

2- योजना की अवधि एवं पात्रता

इस योजना के अंतर्गत वे नई वस्त्र उद्योग इकाईयाँ तथा विस्तारीकरण, विविधीकरण करने वाली वस्त्रोद्योग इकाईयाँ यथा—कताई, बुनाई, निटिंग, गारमेण्ट्स निर्माण इकाईयाँ पात्र होगी जिन्हें उ०प्र० 0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के पूँजीगत ब्याज उपादान योजना 2012 के लागू होने की तिथि से प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु ऋण की धनराशि बैंकों/वित्तीय संस्था द्वारा उपलब्ध करा दी गयी हो तथा इकाई द्वारा ऋण वितरण की प्रथम तिथि से 3 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर लिया गया हो। 5 या 7 वर्षों की समयावधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी।

3- योजनान्तर्गत आच्छादित क्षेत्र

प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू होगी। बुंदेलखण्ड, पूर्वांचल व मध्यांचल क्षेत्र के मण्डलों में इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु० 1 करोड़ होगी तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाली वस्त्रोद्योग इकाईयों के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु० 50.00 लाख होगी।

4—परिभाषाएं

(1) इकाई का तात्पर्य ऐसी पात्र नयी वस्त्र उद्योग इकाई या विविधीकृत/विस्तारीकृत इकाई से है जिसके द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी का क्रय तथा वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ 30.11.2012 की तिथि के पश्चात किया गया हो।

तथा

जो हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ.प्र. के अधीन संबंधित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त कार्यालय में एस०एस०आई यूनिट के रूप में पंजीकृत हो।

अथवा

जिसने उद्योग निदेशालय, उ.प्र. के अधीन संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के धारा—8 के अन्तर्गत ज्ञापन जमा कर दिये गये हो।

अथवा

जिसके द्वारा इस शासनादेश के जारी होने के उपरान्त भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र दाखिल किया गया हो।

(2) "पूर्वावल", बुन्देलखण्ड तथा मध्याँचल का तात्पर्य अनुलग्नक-1 में उल्लिखित जनपदों से है।

(3) "वित्तीय संस्था" से तात्पर्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन वित्तीय संस्थायें अथवा शिड्यूल्ड बैंक से है।

(4) "ऋण वितरण की तिथि" का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन वित्तीय संस्था द्वारा इकाई को प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु ऋण धनराशि की प्रथम किस्त उपलब्ध करा दी गयी हो।

(5) "वर्ष" का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

(6) "प्लाण्ट एवं मशीनरी" का तात्पर्य नये यंत्र एवं संयंत्र से है जिसमें उपकरण, ह्यूमिडीफायर, जनरेटिंगसेट, बॉयलर, कैप्टिव पॉवर प्लाण्ट, डाईज एण्ड मोल्ड्स तथा इकाई के प्रकृति के अनुरूप इस प्रकार के अन्य नये यंत्र, संयंत्र से है जिनका उपयोग उत्पादन हेतु सहायक हो। पुराने यंत्र, संयंत्र इत्यादि प्लाण्ट एवं मशीनरी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होगी।

5—योजना का परिचालन हेतु प्राधिकृत संस्था :-

6—योजना का स्वरूप

1 योजना के परिचालन हेतु हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग प्राधिकृत संस्था होगी।

(1) योजनान्तर्गत नई वस्त्रोद्योग इकाईयों तथा विस्तारीकृत/विविधीकृत करने वाली वस्त्रोद्योग यथा—कताई, बुनाई, निटिंग एवं गारमेण्ट्स निर्माण इकाईयों के लिए प्रति वर्ष प्रति इकाई रु० 1 करोड़ होगी। स्पिनिंग यूनिट को छोड़कर अन्य वर्त्र उद्योग की इकाईयों पर यह उपादान 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्षों के लिए प्रति यूनिट अधिकतम 1 करोड़ होगी। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उपरोक्त प्रकार के नये वस्त्रोद्योगों के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु० 50.00 लाख होगी।

(2) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इकाई को वित्तीय संस्था से सावधि ऋण प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात् इकाई द्वारा व्याज उपादान प्रतिपूर्ति आवेदन—पत्र हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय के आधीन सम्बंधित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा। परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त प्राप्त आवेदन पत्र का भौतिक एवं वित्तीय

सत्यापन करकर अप्रैजल रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव संस्तुति सहित निदेशालय को प्रेषित करेंगे।

3. इस योजना का लाभ उन्हीं इकाईयों को अनुमन्य होगा जिन्होने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्लाण्ट एवं मशीनरी पर किसी प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।
4. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्तों के परीक्षण के पश्चात उनकी संस्तुति सहित प्राप्त प्रतिपूर्ति प्रस्तावों का मूल्यांकन/परीक्षण निम्न कमेटी द्वारा किया जायेगा।

1. वित्त नियन्त्रक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उ0प्र0 कानपुर -सदस्य
2. संयुक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उ0प्र0 कानपुर -सदस्य
3. तकनीकी सलाह हेतु निट्रा द्वारा मनोनित एक सदस्य -सदस्य
4. योजनाधिकारी, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उ0प्र0 कानपुर -सदस्य
5. कमेटी द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन/परीक्षण के बाद कमेटी की कार्यवृत्त के साथ प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

7—योजना के अन्तर्गत स्वीकृति की पात्रता

(1) इकाई द्वारा प्रस्तर संख्या-2 में उल्लिखित पात्रता की शर्तें पूर्ण की गयी हो।

(2) इकाई द्वारा प्रारूप—"क" एवं प्रारूप—"ख" पर सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो।

(3) इकाई के पक्ष में वित्तीय संस्था द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु 30.11.2012 के पश्चात् सावधि ऋण वितरित किया गया हो तथा वित्तीय वर्ष में देय ब्याज का भुगतान इकाई द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था को कर दिया गया हो।

(4) उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम आवेदन के पश्चातवर्ती वार्षिक आवेदन सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त को अगले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर तक प्रस्तुत कर दिया गया हो। 30 सितम्बर के उपरान्त प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर पिछले वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए ब्याज उपादान अनुमन्य नहीं होगा।

(1) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्ति हेतु इच्छुक इकाई द्वारा सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त को निर्धारित आवेदन—पत्र "प्रारूप—क" एवं प्रारूप—"ख" में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ इकाई द्वारा उसे संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु वितरित ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये ब्याज का, वित्तीय संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त द्वारा आवेदन—पत्र एवं वॉचित प्रपत्रों का वित्तीय एवं भौतिक सत्यापन कर अपनी अप्रैजल रिपोर्ट के साथ संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

(3) निदेशालय स्तर पर मूल्यांकन/परीक्षण हेतु गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन/परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) इकाई द्वारा स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त नान-जूडिशियल स्टाम्प घेपर पर अनुबन्ध सम्बन्धित सहायक आयुक्त के साथ संपादित कराया जायेगा।

(1) निदेशालय द्वारा स्वीकृत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष बजट प्राविधान कराया जायेगा।

9—भुगतान की प्रक्रिया

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष निदेशालय उ0प्र0 अवरथापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 की भाँति योजना के अन्तर्गत होने वाले सभी व्यय यथा अनुबन्ध पत्र व अनुषांगिक व्यय तथा अन्य व्यय उपादान धनराशि के वितरण से पूर्व पात्र इकाई से प्राप्त करके शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त शासन द्वारा निदेशालय के पक्ष में स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

(3) शासन द्वारा धनराशि की स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त से इकाई का खाता, आई0एफ0एस0सी0 कोड, अनुबन्ध पत्र एवं संस्तुति मंगाकर प्रतिपूर्ति की धनराशि इकाई के खाते में सीधे भेजी जायेगी।

(4) इकाई द्वारा अपेक्षित मूलधन एवं ब्याज की किश्तों का भुगतान संबंधित वित्तीय संस्था को उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर ही करना आवश्यक होगा। यदि किन्हीं कारणों से किसी भुगतान में इकाई डिफाल्टर हो जाती है तो उस किश्त के साथ दिये गये ब्याज पर कोई छूट (उपादान) देय नहीं होगी परन्तु यह अवधि पात्रता अवधि में सम्मिलित मानी जायेगी।

10- ब्याज उपादान योजना के लेखों का रखरखाव :-

11- बजट की व्यवस्था

12- स्वीकृत ब्याज उपादान सुविधा का निरस्तीकरण/वसूली

13- इकाईयों द्वारा सूचना का प्रस्तुत किया जाना

परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त एवं निदेशालय द्वारा ब्याज उपादान योजना में वितरित धनराशि का लेखा एवं अन्य प्रपत्रों का संपूर्ण विवरण जनपद वार इकाई वार रखा जायेगा।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष में अनुमानित मॉग के अनुरूप शासन से बजट प्राविधान कराया जायेगा। जिसके आधार पर शासन द्वारा समय-समय पर निदेशालय द्वारा प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

निमलिखित परिस्थितियों के घटित होने की दशा में संबंधित इकाईयों को ब्याज उपादान देय नहीं होगा एवं इकाई को ब्याज उपादान वितरित होने की दशा में वितरित धनराशि भू-राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा।

(1) जब कोई वस्त्रोद्योग इकाई निर्धारित विवरण व सूचना, जो उससे मॉगी जाए, देने में असफल रहे।

(2) जब किसी वस्त्रोद्योग इकाई द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अथवा असत्य सूचना देकर ब्याज उपादान प्राप्त किया हो।

(3) जब किसी वस्त्रोद्योग इकाई द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 क्रमागत वर्षों की अवधि के अन्तर्गत उत्पादन कार्य स्थाई रूप से (छ: माह से अधिक) बन्द कर दिया गया हो अथवा दैवीय आपदा के कारण उत्पादन बन्द कर दिया गया हो, साथ ही दोनों ही अवरथाओं में इकाई द्वारा संबंधित

घटना/व्यवधान उत्पन्न होने के एक माह के अन्दर ही संबंधित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं निदेशालय को लिखित रूप से सूचना प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में प्राधिकृत संस्था हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का निर्णय सर्वमान्य होगा।

योजनावधि में इकाईयों द्वारा प्राधिकृत संस्था स्तर से मांगी गयी सूचना उपलब्ध किया जाना आवश्यक होगा। वस्त्रोद्योग इकाईयों द्वारा प्रति वर्ष उनके द्वारा किये गये उत्पादन आदि का विवरण एवं आडिटेड वार्षिक लेखा/वैलेन्स शीट संबंधित प्राधिकृत संस्था को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

14- अन्य

(1) योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर ऐसे मामले प्राधिकृत संस्था के मुख्यालय स्तर पर संदर्भित किये जायेगें।

(2) विवाद के अनिस्तारित रहने पर प्रकरण प्रमुख सचिव, वस्त्रोद्घोग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने का, योजना में संशोधन करने का अथवा अन्य नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार उसी स्तर पर होगा जिस स्तर से मूल योजना अनुमोदित की गई है।

भवतीय,

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या-769(1)/63-व0उ0-2016, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- निदेशक, नार्दन इण्डिया टेक्सटाइल रिसर्च एरोसिएशन (निट्रो) सेक्टर-23, राजनगर, गाजियाबाद।
- 7- संयुक्त अधिकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

संख्या-769(2)/63-व0उ0-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुकित के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना व्यापक प्रचार-प्रसार समर्त समाचार पत्रों में एवं अन्य प्रचार माध्यमों से करवाने का कष्ट करे।

संलग्नक:-यथोक्त।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

प्रारूप :- क

वस्त्रोद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान के प्रस्ताव का प्रारूप
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उम्रो कानपुर।

परिक्षेत्र का नाम :-

जनपद का नाम :-

आवेदन का दिनांक :-

ऋण प्रदान करने वाली संस्था का नाम -

ऋण लेने वाले व्यक्ति/संस्था/इकाई/प्रोपराइटर का नाम व पता -

(सहायक आयुक्त
द्वारा प्रमाणित
फोटो)

1. एस०एस०आई यूनिट है या नहीं -
2. हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग से पंजीकृत है कि जिला उद्योग केन्द्र से पंजीकृत है -
3. प्रवर्तक का नाम -
4. यूनिट का प्रकार(टैक्सटाइल/स्पीनिंग/प्रोसेसिंग/मेडअप) -
5. उत्पादित उत्पादों के प्रकार -
6. टर्म लोन रवीकृति का दिनांक -
7. अवमुक्त ऋण की धनराशि -
8. ब्याज दर -

संलग्न प्रपत्र :-

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. संलग्नक "क" | 2. सी०ए० का सर्टीफिकेट |
| 3. बैंकर सर्टीफिकेट | 4. विद्युत बिल की प्रति |
| 5. लोन रवीकृति पत्र की प्रति | 6. ब्याज गणना शीट की प्रति |
| 7. एस०एस०आई सर्टीफिकेट | 8. पैन कार्ड की छाया प्रति |
| 9. टिन नं० की छाया प्रति | 10. निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति |
| 11. अन्य वॉचिट कागजात | 12. बैंक की अप्रैजल रिपोर्ट |
| 13. उत्पादन प्रक्रिया का विवरण | 14. मशीनों की सूची कीमत सहित |
- प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गयी सभी जानकारी सत्य एवं सही हैं भविष्य में यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा/हूँगी। और उम्रो सरकार दी गयी धनराशि की वसूली कर सकती है।

स्थान :-

दिनांक:-

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
(पदनाम व मोहर सहित)

उपरोक्त सभी तथ्यों का परीक्षण कर लिया गया है। यूनिट का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है, यूनिट कार्यशील तथा सभी पात्रता के मानकों को पूर्ण करती है। ब्याज उपादान के मद में लाभ लेने हेतु संस्तुति की जाती है।

परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर
(नाम व मोहर सहित)

१३

25/6/88

प्रारूप :- ख

ब्याज उपादान योजनान्तर्गत आवेदनपत्र

1.	इकाई का नाम एवं पता	
2.	इकाई का स्वरूप प्रोपराइटरिशिप / पार्टनरशिप कं0(प्राइलि0 या प्राइलि0 इन्टरप्राइजेज) पैन नं0 व टिन नं0 सहित	
3.	मुख्य प्रवर्तक/साझेदारों/निदेशकों का नाम एवं पते, फोटोग्राफ व निवास प्रमाण पत्र के साथ	
4.	दूरभाष/मोबाइल नं0, ई—मेल आईडी0 का विवरण	
5.	संस्था के पंजीकरण का विवरण संख्या :— दिनांक :— (साक्ष्य हेतु पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करें)	
6.	पंजीकृत उत्पादों का विवरण	
7.	उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि	

१०२

१०३

6.	उत्पादन प्रक्रिया जिसमें मशीन का उपयोग रेखांकित हो संलग्न है। हॉ / नहीं		
9.	मशीनों की सूची कीमत सहित जिनका उपादान कलेम किया गया है संलग्न है। हॉ / नहीं		
10.	उपयोग में आने वाला कच्चा माल व उत्पादित माल का विवरण संलग्न है। हॉ / नहीं		
11.	बैंक की अप्रेजल रिपोर्ट संलग्न है। हॉ / नहीं		
12.	वित्तीय संस्था का नाम जहां से ऋण प्राप्त किया गया है		
13.	प्लांट एंव मशीनरी के निवेश पर वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि, देय ब्याज दर एंव दिनांक (साक्ष्य हेतु वित्तीय संस्था/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी स्वीकृत ऋण प्रपत्र एंव अनुबन्ध पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)		
14.	प्लांट एंव मशीनरी के निवेश पर वित्तीय संस्था द्वारा वितरित ऋण की धनराशि, एंव दिनांक (साक्ष्य हेतु वित्तीय संस्था/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न करें		
15.	यदि इकाई द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था से भी वित्त पोषण प्राप्त किया गया है उसका सम्पूर्ण विवरण (साक्ष्य हेतु वित्तीय संस्था द्वारा जारी स्वीकृत ऋण प्रपत्र एंव अनुबन्ध पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)		
16.	पूँजीगत ब्याज उपादान स्वीकृति हेतु दावों का वर्षवार विवरण		
कृम सं०	दावा वर्ष जिसके लिए ब्याज उपादान हेतु आवेदन किया है	वर्ष में वित्तीय संस्था को दिया गया भुगतान जो कि वित्तीय संस्था द्वारा प्रमाणित किया गया है	प्लांट एंव मशीनरी के निवेश हेतु ऋण पर 7/5 : की दर से अपेक्षित ब्याज उपादान

		मूलधन(₹०)	ब्याज(₹०)	(₹०)
1.	प्रथम वर्ष ()			
2.	द्वितीय वर्ष ()			
3.	तृतीय वर्ष ()			
4.	चतुर्थ वर्ष ()			
5.	पंचम वर्ष ()			
6.	षष्ठम वर्ष ()			
योग				

सत्यापित

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
(पदनाम व मोहर सहित)

परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर
(नाम व मोहर सहित)